2024: CGHC: 46802-DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
प्रथम अपील (विविध) क्रमांक 43 वर्ष 2019
{न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, महासमुंद के व्यवहार वाद क्रमांक 76A/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7-12-2018 से उद्भूत}

उदयराम बसंत, आत्मज कीर्तन बसंत, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर, पोस्ट बरनीदादर, थाना बसना नगर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

----अपीलार्थी

विरुद्ध

श्रीमती ज्योति, पति उदयराम बसंत, आयु लगभग 42 वर्ष, हाल निवासी तालापारा एकता चौक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी हेतु: श्री बदरुद्दीन खान, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी हेतु: श्री अनिमेष वर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगल पीठ
माननीय श्री संजय के. अग्रवाल एवं
माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायमूर्तिगण
बोर्ड पर निर्णय
(27/01/2026)

संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, '1955 का अधिनियम') की धारा 28 सह पठित कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी/पति ने न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, महासमुंद द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 76A/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7-12-2018 की विधिकता, वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/पति के 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) एवं (ib) के तहत वर्णित आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री हेतु प्रस्तुत आवेदन को गुणदोष विहीन पाते हुए खारिज कर दिया गया है।

2. उपर्युक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर आधारित है: -

2.1) अपीलार्थी और प्रत्यर्थी का विवाह दिनांक 29-4-1993 को तलपारा, बिलासपुर में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ था और उनके वैवाहिक गठबंधन से उन्हें

एक पुत्री रश्मि और एक पुत्र संदीप की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात, अपीलार्थी–पति और प्रत्यर्थी–पत्नी दोनों सितंबर, 2001 से पृथक रूप से निवास कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप पति द्वारा प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बस्तर स्थित जगदलपुर के समक्ष 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) एवं (ib) के तहत प्रगणित आधारों पर दिनांक 3–7–2002 को व्यवहार वाद क्रमांक 24–A/2002 प्रस्तुत किया गया, जिसे उक्त न्यायालय ने दिनांक 24–4–2004 को गुणदोष विहीन पाते हुए खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर पति ने इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील क्रमांक 109/2004 प्रस्तुत की थी और इस न्यायालय ने भी दिनांक 18–6–2007 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी और विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि करते हुए यह माना कि पति 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) एवं (ib) के तहत आधारों को स्थापित करने में विफल रहा है।

2.2) 11 वर्ष के अंतराल के बाद, दिनांक 1–12–2014 को, अपीलार्थी/पति ने पुनः व्यवहार वाद क्रमांक 76A/2014, इस बार कुटुंब न्यायालय, महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि सितंबर 2001 से पति और पत्नी दोनों अलग–अलग रह रहे हैं और इसलिए विवाह अपूर्णीय रूप से टूट चुका है और चूंकि उनके बीच विवाह का पुनर्जीवित होना संभव नहीं है, अतः उसके पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.3) प्रत्यर्थी/पत्नी ने कुटुंब न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल करते हुए कहा कि चूंकि पति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद दिनांक 24–4–2004 को पहले ही खारिज किया जा चुका है जिसकी पुष्टि अपील में भी हो चुकी है, अतः वर्तमान आवेदन/वाद व्ययवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'संहिता') की धारा 11 में निहित प्राङ्न्याय के सिद्धांत से बाधित है और अन्य लगाए गए आरोपों से इनकार किया।

2.4) कुटुंब न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर निम्नलिखित चार विवाद्यक और एक अतिरिक्त विवाद्यक विरचित किए और उनमें दर्ज निष्कर्षों पर पहुँचे: –

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रतिवादिनी द्वारा सितम्बर 2001 से वादी का अभित्यजन किया गया है?	"प्रमाणित नहीं"
2.	क्या प्रतिवादिनी द्वारा वादी के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया?	"प्रमाणित नहीं"
3.	क्या वादी, प्रतिवादिनी से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति	"प्रमाणित नहीं"

	प्राप्त करने का अधिकारी है?	
4.	सहायता एवं व्यय?	निर्णय की कंडिका 20 के अनुसार

अतिरिक्त वादप्रश्न

5.	क्या वादी का वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर प्रचलन योग्य नहीं है?	"हाँ"

2.4) कुटुंब न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा यह धारित किया कि आवेदन/वाद प्राङ्न्याय के सिद्धांत से बाधित है और साथ ही गुणदोषों के आधार पर भी यह माना कि वादी/पति 1955 के अधिनियम की धारा 13 के अधीन आधार स्थापित करने में विफल रहा है, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी/पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बदरुद्दीन खान ने यह तर्क दिया कि कुटुंब न्यायालय द्वारा अभिलेख के प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करते हुए वाद को खारिज करना पूर्णतः अनुचित है तथा प्राङ्न्याय का सिद्धांत वैवाहिक अपराधों पर लागू नहीं होता है, इसलिए आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाए और अपीलार्थी/पति के पक्ष में डिक्री प्रदान की जाए।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिमेष वर्मा ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया और अपील का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि कुटुंब न्यायालय ने संहिता की धारा 11 में निहित प्राङ्न्याय के सिद्धांत का अवलंब लेते हुए वाद को सही रूप में खारिज किया है और इस प्रकार, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और उनके द्वारा ऊपर की गई परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अत्यधिक सावधानीपूर्वक अभिलेख का अवलोकन भी किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, विचारार्थ प्रश्न इस प्रकार होंगे:

1. क्या अपीलार्थी–पति द्वारा दायर वाद संहिता की धारा 11 में निहित प्राङ्न्याय के सिद्धांत से बाधित था?

2. क्या अपीलार्थी–पति 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता और धारा 13(1)(ib) के तहत परित्याग के आधार पर डिक्री/विवाह विच्छेद का हकदार है?

प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में: –

7. स्वीकार्य रूप से, 3–7–2002 को, अपीलार्थी–वादी–पति ने 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और (ib) में निहित आधारों पर इस अभिकथन के साथ विवाह विच्छेद की डिक्री हेतु वाद दायर किया था कि दोनों अलग–अलग रह रहे थे, जिसमें विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और (ib) के तहत प्रगणित आधार स्थापित नहीं हुए हैं और अभिकथित वाद–कारण सितंबर, 2001 का था। वादी/अपीलार्थी/पति ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की और उक्त प्रथम अपील इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए खारिज कर दी गई थी कि प्रतिवादी/पत्नी को वादी/पति द्वारा धक्का दिया गया था जिससे उसे अस्थिभंग हुआ था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उक्त निष्कर्ष प्रथम अपील क्रमांक 109/2004 में पारित निर्णय दिनांक 18–6–2007 के कंडिका 9 और 10 में दर्ज किया गया था, जो इस प्रकार है: –

> "9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने के उपरांत, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को भेजे गए उस नोटिस की प्रति प्रस्तुत नहीं की जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को अपने वैवाहिक घर लौटने और वैवाहिक जीवन पुनर्स्थापित करने के लिए कहा था। गोकुल प्रसाद बसंत के साक्ष्य को विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के साक्ष्य के साथ अत्यधिक विरोधाभासी होने के कारण सही रूप से त्याग दिया गया था। अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि सितंबर 2001 में प्रत्यर्थी के बाएं पैर में अस्थिभंग हुआ था और प्रत्यर्थी के पिता उसे उपचार के लिए बिलासपुर ले गए थे। हालांकि 7.9.2001 को, वह प्रत्यर्थी को उपचार के लिए पुनः अपने गाँव रामपुर लाया था और प्रत्यर्थी 9.9.2001 से बिलासपुर में अपने माता–पिता के साथ रह रही थी। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन और एक सुविचारित आदेश द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज किया कि

सितंबर 2001 में, अपीलार्थी द्वारा धक्का दिए जाने के कारण प्रत्यर्थी को अस्थिभंग हुआ था और उसके बाद वह अपने पिता के साथ अपने मायके चली गई थी और उसके बाद अपीलार्थी ने उसे वापस लाने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के इस कथन पर सही भरोसा किया कि अपीलार्थी ने सितंबर 2001 से उसे अपने वैवाहिक घर वापस ले जाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी और उसने कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था।

10.इस प्रकार आक्षेपित निर्णय दिनांक 24 अप्रैल 2004 का अवलोकन करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर, यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और (ib) के तहत आधार स्थापित करने में विफल रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य भिन्न हैं और वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं। पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद की डिक्री देने से इनकार करने वाला आक्षेपित निर्णय इस प्रकार त्रुटिरहित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपर्युक्त निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के उस निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए दर्ज किया गया था कि विवाह विच्छेद के आवेदन को दायर करने का कथित वाद–कारण सितंबर, 2001 में उत्पन्न होना बताया गया है। इसे अपीलार्थी/पति द्वारा आगे किसी अपील न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार, सितंबर, 2001 के वाद–कारण के संबंध में दर्ज निष्कर्ष और उसमें दिए गए निष्कर्ष अंतिम हो चुके हैं।

9. इस स्तर पर, संहिता की धारा 11 में निहित प्राङ्न्याय के सिद्धांत का उल्लेख किया जा सकता है। संहिता की धारा 11 इस प्रकार है: –

"11. प्राङ्न्याय— कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा, जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय , उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के

> अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में उसी हक के अधीन मुकदमेबाजी करते हुए, ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है तथा अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।"

10. संहिता की धारा 11 में प्रतिपादित सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे "वाद" या "विवाद्यक" का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय को पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विनिश्चित किया जा चुका है। व्ययवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 इस सिद्धांत को इस उद्देश्य के साथ समाविष्ट करती है कि "सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर दिया गया अंतिम निर्णय पक्षकारों और उनके हित–प्रतिनिधियों के अधिकारों के संबंध में निश्चायक होता है, और उनके लिए, उसी दावे, मांग या वाद–कारण से जुड़ी किसी पश्चात्वर्ती कार्रवाई पर पूर्ण रोक लगाता है" (देखें: एस्कॉर्ट्स फार्म्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर, कुमाऊं डिवीजन, नैनीताल, (2004) 4 एससीसी 281)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. 1955 के अधिनियम की धारा 13 कतिपय मामलों में विवाह विच्छेद की डिक्री दिए जाने का प्रावधान करती है। यह आदेश देती है कि अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में अनुष्ठापित किसी भी विवाह को, पति या पत्नी द्वारा उसमें निर्दिष्ट किसी भी आधार पर प्रस्तुत याचिका पर भंग किया जा सकता है। 1955 के अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) का खंड (ia) यह घोषित करता है कि न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री इस आधार पर पारित की जा सकती है कि विवाह के अनुष्ठापन के बाद, विपक्षी दल ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। इसी प्रकार, 1955 के अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) का खंड (ib) यह घोषित करता है कि न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री इस आधार पर पारित की जा सकती है कि विपक्षी दल ने याचिका की प्रस्तुति से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए याचिकाकर्ता का परित्याग किया है।

12. इस स्तर पर, 1955 के अधिनियम की धारा 21 का संज्ञान लेना उचित होगा, जो इस प्रकार है: –

> "21. 1908 के अधिनियम 5 का लागू होना—– इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो उच्च न्यायालय इस संबंध में बनाए, इस अधिनियम के अधीन सभी

कार्यवाहियां, जहाँ तक हो सके, व्ययवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनियमित होंगी।"

13. प्राङ्न्याय का सिद्धांत 1955 के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के कुछ मामलों में भी लागू हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने गुडा विजयलक्ष्मी बनाम गुडा रामचंद्र शेखरा शास्त्री[1] के मामले में 1955 के अधिनियम की कार्यवाहियों में संहिता की धारा 11 की प्रयोज्यता पर विचार किया है और यह माना है कि धारा 11, 1955 के अधिनियम के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर लागू होगी, जिसमें यह अवलोकन किया गया है: –

> "3. ... शब्दशः धारा 21 व्ययवहार प्रक्रिया संहिता के प्रक्रियात्मक और सारवान प्रावधानों के बीच कोई भेद नहीं करती है और यह केवल यही प्रावधान करती है कि संहिता, जहाँ तक हो सके, अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों पर लागू होगी और वाक्यांश "जहाँ तक हो सके" का अर्थ है और यह केवल संहिता के ऐसे प्रावधानों को अपवर्जित करने के लिए अभिप्रेत है जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं या हो सकते हैं। यह कहना असंभव है कि संहिता के वे प्रावधान जो सारवान् विधि की प्रकृति के हैं, विवक्षा द्वारा अपवर्जित हैं, क्योंकि धारा 21 में ऐसी कोई विवक्षा नहीं पढ़ी जा सकती है और संहिता का एक विशेष प्रावधान, चाहे वह प्रक्रियात्मक हो या सारवान्, केवल तभी लागू नहीं होगा यदि वह अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हो। उदाहरण के लिए, इस सुझाव को स्वीकार करना कठिन है कि संहिता की धारा 11 में निहित प्राङ्न्याय का सिद्धांत, जो सारवान् विधि की प्रकृति का है, अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। आखिरकार, प्राङ्न्याय, विबंध के नियम की ही एक शाखा या प्रकार है जिसे 'अभिलेख द्वारा विबंध' कहा जाता है और यद्यपि विबंध को अक्सर साक्ष्य के नियम के रूप में वर्णित किया जाता है, किंतु संपूर्ण अवधारणा को अधिक सही रूप में विधि के एक सारवान् नियम के रूप में देखा जाता है। (देखें: कैनेडियन एंड डोमिनियन शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम कैनेडियन नेशनल (वेस्ट इंडीज) स्टीमशिप्स लिमिटेड (1947) एसी 46, पृष्ठ 56 (P.C.) पर)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 AIR 1981 SC 1143

14. इस स्तर पर, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10, जो वैवाहिक विवादों पर लागू होने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती है, का संज्ञान लेना आवश्यक है। यह इस प्रकार है: –

> "10. साधारण प्रक्रिया—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध कुटुंब न्यायालय के समक्ष [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न] वादों और कार्यवाहियों को लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, कुटुंब न्यायालय एक व्यवहार न्यायालय समझा जाएगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
>
> (2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियम, कुटुंब न्यायालय के समक्ष उस संहिता के अध्याय IX के अधीन कार्यवाहियों को लागू होंगे।
>
> (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई भी बात कुटुंब न्यायालय को वाद या कार्यवाहियों की विषय–वस्तु के संबंध में समझौते पर पहुँचने या एक पक्ष द्वारा अभिकथित और दूसरे पक्ष द्वारा नकारे गए तथ्यों की सत्यता जानने की दृष्टि से अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने से निवारित नहीं करेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपर्युक्त धारा 10 की उपधारा (1) के सावधानीपूर्वक अवलोकन से यह दर्शित होता है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के प्रावधान कुटुंब न्यायालय के समक्ष वादों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे और संहिता के उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, कुटुंब न्यायालय को एक व्यवहार न्यायालय माना जाएगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त, धारा 10 की उपधारा (3) के आधार पर यह प्रावधान किया गया है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई भी बात कुटुंब न्यायालय को वाद या कार्यवाहियों की विषय–वस्तु के संबंध में समझौते पर पहुँचने या एक पक्ष द्वारा अभिकथित और दूसरे पक्ष द्वारा नकारे गए तथ्यों की सत्यता जानने की दृष्टि से अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने से नहीं रोकेगी। इस प्रकार, यह सर्वथा स्पष्ट है कि संहिता के

प्रावधान, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के किसी भी अन्य प्रावधान के अधीन रहते हुए, कुटुंब न्यायालय की कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

16. इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी, बॉम्बे और अन्य[2] के मामले में यह धारित किया कि प्राङ्न्याय का सिद्धांत और संहिता के आदेश 2 का नियम 2, दोनों ही विधि के इस शासन पर आधारित हैं कि एक व्यक्ति को एक ही वाद–कारण के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए, और इस प्रकार अवलोकन किया: –

> "9. ... प्राङ्न्याय का सिद्धांत और आदेश 2 का नियम 2, दोनों ही विधि के इस नियम पर आधारित हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही वाद–कारण के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाएगा। मोहम्मद खलील खान बनाम महबूब अली मियां[3] के मामले में, प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण प्रतिपादित किए थे कि क्या संहिता के आदेश 2 नियम 2 किसी विशेष परिस्थिति में लागू होंगे। इनमें से पहला यह है कि, "क्या नए वाद में किया गया दावा वास्तव में उस वाद–कारण पर आधारित है जो पूर्ववर्ती वाद का आधार था"। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। इस निर्णय की बाद में इस न्यायालय के दो निर्णयों, केवल सिंह बनाम लाजवंती[4] और इनासियो मार्टिंस केस[5] में पुष्टि की गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने पर यह पूर्णतः स्पष्ट है कि पति द्वारा 1955 के अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के लिए दायर किया गया पहला वैवाहिक मामला क्रूरता और परित्याग के आधार पर दायर किया गया था और विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार वाद–कारण सितंबर, 2001 में उत्पन्न होना बताया गया है। यहाँ तक कि दायर किए गए दूसरे आवेदन/वाद में भी, वाद–पत्र के कंडिका 8 और 9 के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में भी वाद–कारण सितंबर, 2001 में उत्पन्न हुआ था। यह विवाद्यक भी विरचित किया गया था कि क्या प्रत्यर्थी/पत्नी ने सितंबर, 2001 से अपीलार्थी/पति का परित्याग किया है। दूसरा वैवाहिक मामला भी क्रूरता कारित करने और परित्याग से संबंधित उसी वाद–कारण पर आधारित है जिसे पहले अभिवचनों में लिया गया था और जिसे विचारण न्यायालय के साथ–साथ अपीलार्थी/पति द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय (इस उच्च न्यायालय) द्वारा स्थापित नहीं पाया गया था। अभिलेख के सावधानीपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं है

2 (1996) 1 SCC 735
3 AIR 1949 PC 78 : 52 CWN 812 : 75 IA 121
4 (1980) 1 SCC 290 : AIR 1980 SC 161
5 (1993) 3 SCC 123

कि वर्तमान वाद में वाद–कारण पहले वाद के खारिज होने के बाद, यानी विचारण न्यायालय द्वारा 24–4–2004 को और इस न्यायालय द्वारा 18–6–2007 को प्रथम अपील खारिज किए जाने के बाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार, सितंबर, 2001 में उत्पन्न हुए वाद–कारण पर आधारित क्रूरता और परित्याग के आधारों पर विचार कर अंतिम रूप से निर्णय लिया जा चुका है और इसलिए प्राङ्न्याय के सिद्धांत पर क्रूरता और परित्याग से संबंधित दूसरे वाद को संसाधित करने और निर्णय लेने में संहिता की धारा 11 के रूप में विधिक बाधा विद्यमान है। यह अपीलार्थी/पति का मामला नहीं है कि दूसरा वाद 24–4–2004 को पूर्ववर्ती वाद के खारिज होने (जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में 18–6–2007 को की गई थी) के बाद किसी नए और पश्चात्वर्ती वाद–कारण पर आधारित है।

प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में: –

18. यह सत्य है कि विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–4–2004, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18–6–2007 को पुष्ट किया गया था, अपीलार्थी/पति द्वारा यहाँ न तो दाखिल किए गए थे और न ही प्रदर्शित किए गए थे, किंतु वे स्वीकृत दस्तावेज़ थे और कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 14 के आधार पर साक्ष्य के कठोर नियम लागू नहीं होंगे। चूँकि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/पति द्वारा दायर पूर्ववर्ती वाद को खारिज करते हुए विनिश्चित कर दिया है और इस न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है, अतः हमारे सुविचारित मत में, साक्ष्य के कठोर नियम लागू किए बिना उन दस्तावेजों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के उपरांत दूसरे वाद को खारिज करने में कुटुंब न्यायालय का निर्णय सही है। इस प्रकार, जैसा कि कुटुंब न्यायालय द्वारा तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा गुडा विजयलक्ष्मी (पूर्वोक्त) और नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, संहिता की धारा 11 के तहत प्राङ्न्याय का सिद्धांत कार्यवाही पर लागू होगा; और इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा प्राङ्न्याय के सिद्धांत को सही रूप से अवलंब के रूप में लिया गया है और कुटुंब न्यायालय द्वारा इसे सही ढंग से लागू किया गया है। उस परिप्रेक्ष्य में, कुटुंब न्यायालय का यह मानना न्यायसंगत है कि अपीलार्थी/पति की ओर से विवाह विच्छेद हेतु दायर दूसरा आवेदन/वाद प्राङ्न्याय के सिद्धांत से बाधित है।

19. कुटुंब न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर भी दोनों आधारों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) एवं (ib) के तहत आधार स्थापित नहीं हुए हैं। हमने अभिलेख का अवलोकन किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात हम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पाते हैं कि गुणदोष के आधार पर भी दोनों आधार स्थापित नहीं होते हैं, और इस प्रकार, हमारा यह सुविचारित मत है कि पक्षकारों के बीच का विवाद क्रूरता और परित्याग के आधार पर अलगाव का है, जिस पर पहले ही विचार किया जा चुका है और जिसका वाद–कारण सितंबर, 2001 में उत्पन्न हुआ था। पति की ओर से विवाह विच्छेद की डिक्री हेतु दायर वाद/आवेदन को खारिज किया जा चुका है और इस न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में उसकी पुष्टि की जा चुकी है, तथा मुकदमेबाजी के इस दूसरे दौर में, पति ने पुनः उसी वाद–कारण पर अभिवचन दिया और साक्ष्य प्रस्तुत किए। गुणदोष के आधार पर भी अपीलार्थी/पति का कोई मामला नहीं बनता है। अतः, हमें इस अपील में कोई सार नहीं मिलता है।

20. अतः, इस न्यायालय के पास अपीलार्थी/पति की ओर से दायर अपील को खारिज करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। पक्षकार अपना–अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

21. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही /– (संजय के. अग्रवाल) न्यायाधीश	सही /– (अरविंद कुमार वर्मा) न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।